

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना 11/2023- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2023

सा. का. नि.(अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 9 के सामने, कॉलम (3), मद (ii), शब्दों "जिसके अंतर्गत किसी गैर-कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी से सीमाशुल्क केंद्र तक परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाएं भी हैं" को विलोपित किया जाए।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगी।

[फाइल संख्या-CBIC-190354/173/2023-TO (TRU-II) -CBEC]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 538(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के जरिए अंतिम बार संशोधित की थी।